

| कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर |
क्रमांक :—भ्रनिव्यूरो/सामान्य/2023/ 569-76


दिनांक 03/05/2023

बोली आमंत्रण सूचना: 1 / 2023-24

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय भवन प्लाट सं0 जे-09, एवं प्लाट सं0 जे-01, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना ढूंगरी, जयपुर परिसर के कार्य आधार पर साफ-सफाई कार्य खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से दर अनुबंध पर सेवा उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता / संवेदकों से निम्न लिखित प्रकार से तकनीकी एवं वित्तीय बोली पृथक-पृथक आमंत्रित की जाती है।

क्रसं	विवरण	अनुमानित लागत रूपये	बोली प्रतिभूति राशि ₹0	बोली प्रपत्र शुल्क राशि ₹0	बोली प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने की दिनांक एवं समय
1	2	3	4	5	6	7
1	06 स्वीपर मय मशीन/ उपकरण एवं सफाई सामग्री	750000/-	15000/-	200/-	10.05.2023 01:00 PM	10.05.2023 03:00 PM

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण राज्य लोक उपापन पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in> एवं विभागीय वेबसाईट <http://acb.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।


पुलिस अधीक्षक—प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

- 1— निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को 8 प्रतियां मय सीडी में प्रेषित कर निवेदन है कि बोली आमन्त्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 क नियम 46(6) में विहित प्रावधानुसार न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर अविलम्ब प्रकाशन करावें।
- 2— समस्त सदस्य उपापन समिति।
- 3— अति. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), भ्रनिव्यूरो, जयपुर।
- 4— वरि. लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, भ्रनिव्यूरो, जयपुर।
- 5— ए०सी०पी. कम्प्यूटर शाखा, भ्रनिव्यूरो, जयपुर को भेज कर लेख है कि निविदा को विभागीय वेबसाईट एवं एसपीपीपी पोर्टल पर अपलोड करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 6— जन संपर्क अधिकारी भ्रनिव्यूरो, जयपुर को भेज कर लेख है कि निविदा को 2 दिवस में नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
- 7— नोटिस बोर्ड मुख्यालय।


पुलिस अधीक्षक—प्रशासन

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

निविदा प्रपत्र

दूरभाष संख्या— 0141—2712263

निविदाएं दिनांक 10-05-2023 को दोपहर 1.00 बजे तक प्रशासनिक भवन के कमरा नं0 ए—2 में जमा करवायी जा सकेगी, प्राप्त निविदाएं उसी दिनांक सायं 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

निविदा प्रपत्र का मूल्य 200/- रुपये

निविदा की सामान्य शर्तें एवं नियम

निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए एवं अपनी निविदाएं भेजते समय इनका पूर्णरूपण पालना करते हुए अपनी निविदाएं प्रस्तुत करनी होगी।

(ए) :- पात्रता (....Eligibility.) :-

1. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 में रजिस्टर्ड हो (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)।
2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में रजिस्टर्ड हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
3. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन हो (जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।) प्रमाण पत्र के अभाव में तकनीकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. आयकर (पेन नं०) हो (प्रति संलग्न करें)।
5. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कं० एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
6. श्रम विभाग में पंजीकृत फर्म जिसे राजकीय, अर्द्धशासकीय पी.एस.यू. आदि के भवनों में सफाई कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

(अनुभव / संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 का होना चाहिए) (कार्यावधि विगत 4 वर्षों में से न्यूनतम 2 वर्ष की पूर्ण होनी चाहिए। संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा। कार्यादेश को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा)

7. बोली दाता फर्म का वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक का औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम 15 लाख रुपये होना आवश्यक है। इस हेतु बोलीदाता फर्म को चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी किया गया टर्नओवर प्रमाण पत्र बोली के साथ अपलोड करना है।

(बी) :- सामान्य शर्तें :-

1. इच्छुक निविदादाता कार्यालय समय में जे०-०९ झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी जयपुर स्थित भ्र०नि० ब्यूरो के कार्यालय में से निविदा फार्म निविदा के प्रकाशन की तिथि से राशि रूपये 200/- जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल से निविदा फार्म डाउनलोड करने की स्थिति में राशि रूपये 200/-का डी.डी./बैकर्स चैक निविदा के साथ निविदा फार्म शुल्क के रूप में संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
3. निविदाएं दो अलग-2 लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफा तकनीकी बिड तथा दूसरा वित्तीय बिड के लिए होगा।
4. प्रथम लिफाफे (तकनीकी निविदा) में निम्न प्रपत्र रखें जायेगे :-

ए— (अनुभव / संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र— वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि में न्यूनतम 2 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होनी चाहिये। (संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा। कार्यादेश को अनुभव के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा)

बी—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 पंजीयन प्रमाण पत्र।

सी—कर्मचारी का राज्य बीमा अधिनियम 1948 का प्रमाण पत्र।

डी— वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र के अभाव में तकनीकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

ई—आयकर (पेन नं०)की प्रति।

एफ— राजस्थान दुकान एवं वाणज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र।

जी— बोली प्रतिभूति के रूप में पुलिस अधीक्षक— प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नाम से राशि रूपये 15000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक (बोली प्रतिभूति के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा)

एच— मूल निविदा प्रपत्र एवं शर्तें (परिशिष्ट—ए) एवं तकनीकी निविदा प्रपत्र (परिशिष्ट—बी) जिस पर निविदादाताओं के हस्ताक्षर हों।

आई— अनुलग्नक ए,बी,सी व डी तक हस्ताक्षरित संलग्न करें।

जे— संलग्न घोषणा पत्र हस्ताक्षरित हो।

के— बोली दाता फर्म का वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक का औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम 15 लाख रूपये होना आवश्यक है। इस हेतु बोलीदाता फर्म को चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी किया गया टर्नओवर प्रामाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना होगा।

एल— निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में राशि रु. 200/- का डी.डी./बैकर्स चैक (यदि निविदा ऑनलाईन डाउनलोड कर प्रस्तुत की गई हो।)

द्वितीय लिफाफे में केवल वित्तीय बिड (परिशिष्ट—सी) होगा जिसमें निविदादाता को अपनी दर अंको एवं शब्दों में अंकित करनी होगी। शब्दों एवं अंको में अन्तर होने पर आर.टी.पी.पी.नियम 64 के प्रावधान लागू होगे।

5. दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में जिस पर "भ्रनि०ब्यूरो भवन (प्लाट सं जे-१ व जे-९) की सफाई कार्य की निविदा" लिखा हो, बन्द कर निविदा पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के नाम से दिनांक 10-05-2023 को दोपहर 1.00 बजे तक बिल्डिंग फेज-प्रथम, भू-तल के कमरा नं० ए-२ मे प्रस्तुत करनी होगी। देरी से प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
6. प्राप्त निविदाएं दिनांक 10-05-2023 को 3.00 बजे पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्र०नि० ब्यूरो, जयपुर द्वारा अधिकृत समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। सर्व प्रथम तकनीकी बिड का लिफाफा खोला जावेगा जिसे समिति जांच करेगी। जांच के उपरान्त जो निविदादाता तकनीकी बिड में योग्य पाये जायेगे, उनकी वित्तीय बिड खोली जावेगी जिसकी सूचना सफल निविदादाता को पृथक से भिजवा दी जावेगी।
7. सफल निविदादाता को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात नियमानुसार 7 दिवस में कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करवानी होगी तथा 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी दरें निरस्त कर दी जावेगी तथा बोली प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी।
8. कार्य सम्पादन प्रतिभूति को संविदा की समाप्ति के बाद संतोषप्रद कार्य होने पर उनके लिखित रूप से आवेदन करने पर नियमानुसार लौटायी जावेगी।
9. संवेदक, सफाई कार्य का ठेका अन्य किसी दूसरे को सबलेट नहीं करेगा।
10. सफाई की व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्रनि०ब्यूरो जयपुर द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की पालना संवेदक को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के साफ-सफाई कार्य करना होगा।
11. संविदा की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उस विवाद पर पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रनि०ब्यूरो, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा, एवं संवेदक को मान्य होगा।
12. संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति व बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी व उसकी रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य संवेदक से सफाई का कार्य करवाया जायेगा जिसकी वसूली संवेदक से की जावेगी।
13. किसी प्रकार विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही ठेकेदार या किसी भी पक्ष (सरकार एवं संविदाकार) द्वारा संशय किये जाने की आवश्यकता होने पर न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
14. संवेदक द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर से कम नहीं दी जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
15. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्र०नि० ब्यूरो जयपुर को होगा।
16. सफाई कार्य के विवरण मे दिये गये सफाई कार्यों को करते समय यदि किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप से अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके लिये मुआवजे आदि देने का भार स्वयं संवेदक द्वारा ही वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।

17. ठेके की अवधि में यदि सफाई कर्मचारी द्वारा हड्डताल की जाती है और संवेदक द्वारा इस अवधि में भ्र०नि० ब्यूरो, जयपुर के भवन के सफाई कार्यों में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा अपने स्तर पर संवेदक की जोखिम एवं लागत पर सफाई करवायी जावेगी और सफाई कराने में जो राशि व्यय की जाती है, वह राशि ठेकेदार को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।
18. संवेदक द्वारा अपने सफाई कर्मचारियों की हाजरी पंजिका भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, के सीपीएस प्रभारी के पास सुरक्षित उपलब्ध करानी होगी। संवेदक को अपने कर्मचारियों का पहचान पत्र मय उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा।
19. राज्य में लागू नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई की राशि जमा करवाने का दायित्व संवेदक का होगा।
20. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों, अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों /दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
21. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध /सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ईएसआई करवाने /सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
22. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक /बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर पूर्ण रूप से भरे हुये बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
23. सफल बोलीदाता/संवेदक को अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 एवं नियम 1971 के विहित नियमानुसार/प्रावधानानुसार नियत अवधि में लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा (यदि लागू हो)।
24. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा करवाना होगा जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती ओर संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक /बोलीदाता अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. ओर ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक /बोलीदाता को आगामी माह के बिल /बिलों का भुगतान किया जावेगा।
25. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का ओद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्य मुक्त करने, नोटिस वेतन छटनी/मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
26. वित्तीय निविदा में यदि एकाधिक फर्मों की समान दरें प्राप्त होती हैं तो इस स्थिति में वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 के औसत वार्षिक टर्नओवर के आधार पर अधिक वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 के औसत वार्षिक टर्नओवर के आधार पर अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली फर्म को वरीयता दी जावेगी। टर्नओवर भी समान होने की

स्थिति में जिस फर्म का सरकारी कार्यालयों में सफाई का अनुभव संदर्भित वर्षों में अधिक होगा, उसे वरीयता दी जावेगी।

(सी) कार्य सम्पादन प्रतिभूति से सम्बन्धित शर्तें :-

1. सफल निविदादाता को सूचना प्राप्ति से सात दिवस में नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करवानी होगी। यह राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारण्टी के रूप में दी जावेगी। उक्त बैंक गारण्टी निविदा की मूल अवधि से 30 दिवस आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये। प्रतिभूति निक्षेप निविदा के समय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक पुलिस अधीक्षक— प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नाम होगा।
2. इस राशि पर ब्यूरो द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. निम्नलिखित मामलों में जब्त (Forfeit) कर ली जावेगी।

(i) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों/शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ii) जब निविदादाता कार्य संतोषजनक रूप से करने में असमर्थ रहा हो।

(iii) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत (Forfeit) करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक— प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

(डी) कार्य सम्बन्धित शर्तें एवं विवरण

1. संवेदक को ब्यूरो के दोनों भवनों में पूर्ण रूप से स्वच्छता रखनी होगी। संवेदक को ब्यूरो भवन की सफाई कार्य हेतु 6 सफाई कर्मी ब्यूरो में लगाने होगे। न्यूनतम 2 कार्मिक अवकाश के दिन भी कार्य करेंगे।

2. संवेदक को ब्यूरो मुख्याल भवन के प्लाट सं0 जे-9 व जे-1 के एसीबी तीनों ब्लॉकों के भूमिगत तल, भू-तल, प्रथम व द्वितीय तल तथा तृतीय तल, छत स्थित समस्त कमरों, कैन्टीन व भवन के चारों ओर कोरीडोर के अन्दर एक बार प्रति दिन एवम बाहर यानि पोर्च, जीना, कोरीडोर, बॉलकानी आदि तथा प्लाट सं0 जे-1 के भू-तल, प्रथम व द्वितीय तल तथा छत व भवन के चारों ओर दिन में दो बार प्रति दिन सफाई की जानी है जिसमें झाड़ू लगाना एवं फिर फिनाईल/साबुन पानी के घोल से पोछा लगाना होगा। यह ध्यान रखा जावे कि कार्यालय में हर समय सफाई रहे।

3. कोरीडोर जीना गैलरी आदि की सफाई नहीं करने पर राशि रूपये 200/- प्रति दिन/प्रति ब्लाक/प्रति तल की दर से शास्ति आरोपित की जावेगी, इसी प्रकार कमरे की सफाई नहीं होने पर राशि रूपये 50/- प्रति दिन प्रति कमरा शास्ति आरोपित की जावेगी।

4. ब्यूरो भवन के शौचालयों की सफाई दिन में दो बार की जावेगी। जिसमें शौचालयों की फिनाईल/साबुन के पानी से धुलाई तथा आवश्यकता होने पर ऐसिड से सफाई करना सम्मिलित है। ऐसा नहीं करने पर राशि 50/- प्रति दिन प्रति बॉथरूम शास्ति आरोपित की जावेगी।

5. कार्यालय के समस्त यूरिन पोट में फिनाईल की गोलियां तथा वाश बेसिन पर साबुन प्रतिदिन उपलब्ध कराना होगा। ऐसी नहीं करने पर शास्ति आरोपित की जावेगी, जो राशि रूपये 500/- प्रति माह होगी।

6. भवनों के परिसर की सड़क तथा अन्दर एवं बाहर के फुटपाथ की सफाई भी प्रतिदिन करानी होगी ।
7. भ्रनिव्युरो भवनों की समस्त सीढ़ियों की रेलिंग, पोर्च एवं चौक में स्थित रेलिंग की सफाई भी प्रतिदिन करनी होगी ।
8. भवनों के समस्त कमरों, पोर्च के दरवाजों एवं खिड़कियों के शीशे, खिड़कियों के बेस, शीशे के दरवाजे एवं अन्य समस्त दरवाजे एवं खिड़कियों की सफाई प्रत्येक माह में दो बार करनी होगी । ऐसा नहीं करने पर शास्ति आरोपित की जावेगी जो राशि रुपये 500/- प्रति प्रकरण होगी ।
9. भवनों की बाहरी दीवारों पर लगे शीशे माह में एक बार साफ करवाने होंगे । ऐसा नहीं करने पर राशि रुपये 1000/- शास्ति आरोपित की जावेगी ।
10. भवनों के समस्त तलों में स्थित वॉश बेसिन की सफाई, पर्दों की सफाई प्रत्येक सप्ताह में एक बार करनी होगी । वॉश बेसिन की सफाई का कार्य ब्रुश के साथ करना होगा । भवन में स्थापित समस्त पीतल की सामग्री की सफाई ब्रासों के साथ माह में एक बार करनी होगी । अन्यथा शास्ति आरोपित की जावेगी जो राशि रुपये 500/- से अधिक नहीं होगी ।
11. भवनों की छत की सफाई भी माह में एक बार करानी होगी । ऐसा नहीं करने पर राशि रुपये 1000/- शास्ति आरोपित होगी ।
12. भूतल पर उद्यान में स्थित पानी के टैंक की सफाई एवं धुलाई दो माह में एक बार करनी होगी । ऐसा नहीं करने पर राशि रुपये 500/- शास्ति आरोपित होगी ।
13. ब्यूरो भवनों की साफ-सफाई कार्य प्रथम बार कार्यालय खुलने से पूर्व (प्रातः 6.00 से 9.30बजे) एवम उसके पश्चात सायं 3 से 6 बजे तक हो जाना चाहिए । इसके पश्चात भी यदि सम्पूर्ण कार्यालयों में साफ-सफाई की आवश्यकता प्रतीत होती है तो आवश्यकतानुसार /निर्देशानुसार उक्त कार्य करना होगा । यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यालय में सम्पूर्ण समय साफ-सफाई रहे । दोनो भवनों में न्यूनतम एक -एक सफाई कर्मचारी कार्यालय समय प्रातः 9.30 बजे से सायं 6 बजे तक उपस्थित रहना चाहिए । राजकीय अवकाश को भी एक सफाई कर्मी उपलब्ध करवाना होगा भवन की छत, समस्त सड़कों व फुटपाथ की भी सफाई करनी होगी ।
14. पुस्तकालय, विभागीय अभिलेखागार की सफाई आधुनिक सफाई यंत्रों के द्वारा करनी होगी ।
15. भवनों के समस्त कमरों, कोरीडोर में स्थित ट्यूबलाईट फिक्सचर्स, पंखे लाइटें इत्यादि की सफाई एक माह में एक बार करानी होगी । ऐसा नहीं करने पर राशि रुपये 1000/- शास्ति आरोपित होगी ।
16. माह में एक बार ब्यूरो में स्थापित सोलर पैनल की जल से धुलाई करनी होगी । ऐसा नहीं करने पर राशि रुपये 500/- शास्ति आरोपित होगी ।
17. भवनों के समस्त तलों पर स्थापित बोर्ड एवं चार्टों की सफाई सप्ताह में एक बार करनी होगी । ऐसा नहीं करने पर राशि रुपये 200/- शास्ति आरोपित होगी ।
18. संवेदक सफाई सम्बन्धित सामग्री फिनाईल, साबुन, झाड़ू, मिटटी का तेल, होमोकोट, ऑडोनिल, फिनाईल की गोलियाँ, सुगन्धित तेल, वॉशिंग पाउडर, डिटॉल, पोचे, डस्टर, ब्रुश, ऐसिड, आदि की व्यवस्था स्वयं के खर्च से करनी होगी तथा सफाई यन्त्र जैसे वेक्यूम क्लीनर, पोचा लगाने की मशीन एवं अन्य सफाई सामग्री यन्त्र की व्यवस्था स्वयं को अपने खर्च से करनी होगी । ब्यूरो मुख्यालय द्वारा कोई समग्री / उपकरण उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा ।

19. कार्य के दौरान शौचालयों में स्थापित नल, वैस्ट पाईप सिस्टम आदि में आई खराबी/टूट-फूट की जिम्मेदार संवेदक की होगी। संवेदक को तुरन्त ठीक करवाना होगा तथा वॉश वेसन यूरिनल पोट, कमोड, जी आई पाईप में फिटिंग एवम् सिस्टन को ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करवाने पर संवेदक द्वारा स्थापित करवाये जावेंगे।
20. समस्त तलों पर स्थापित मूत्रालय, निकासी पाईप, वॉशवेसिनों के निकासी पाईप, मूत्रालयों की टंकियों एवं पीवीसी पाईपों की देखभाल एवं समस्त कार्यों की सामग्री परिवर्तन करना होगा। शौचालयों की निकासी पाईपों एवं अन्य निकासी पाईप चोक हो जाने पर उनकी सफाई तुरन्त करनी होगी।
21. समस्त तलों की सफाई कराने के बाद कूड़ा करकट एवं कचरे का उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था अपने संसाधनों से संवेदक को करनी होगी।
22. संवेदक द्वारा नियोजित कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में राज्य सरकार का दैनिक, अंशकालिक अथवा नियमित कर्मचारी नहीं माना जावेगा।
23. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों से ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण ब्यूरो को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत ब्यूरो की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
24. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
25. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा। पीएफ एवम् ईएसआई की दरों में सरकार द्वारा परिवर्तन किये जाने पर उक्त परिवर्तन के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
26. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी)की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
27. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये ब्यूरो का सक्षम अधिकारी संवेदक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित

श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से निष्ठा पूर्वक पालन करने के लिये निर्देशित कर सकेगा।

28. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत ब्यूरो को प्राप्त होती है तो ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार करवाने की कार्यवाही करेगी।

(ई) भुगतान सम्बन्धी शर्ते :-

1. संवेदक द्वारा बिल दो प्रतिमाह प्रस्तुत करने पर अगले माह की 15 तारीख तक भुगतान किया जावेगा।
2. बिल के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जावेगा।
 - (ए) सफाई कर्मियों के पी.एफ. एवम ई.एस.आई. अंशदान जमा करवाने के चालान ई. सी. आर.) की प्रति मय सफाई कर्मियों के नाम सहित।
 - (बी) जमा करवाये गये जीएसटी. राशि के चालान की प्रति।
 - (सी) नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करवाई गई राशि का विवरण।
 - (डी) नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानुसार भुगतान करने बाबत प्रमाण पत्र।
- 3— कार्य सन्तोषप्रद होने पर प्रभारी सीपीएस द्वारा बिल के प्रमाणीकरण के बाद आयकर नियमों के अनुसार आयकर की कटौती करके भुगतान किया जावेगा।

(जी) ठेके की अवधि :-

1. संविदा की अवधि एक वर्ष की होगी जो कार्यादेश की दिनांक से लागू होगी।


2.6.23
पुलिस अधीक्षक—प्रशासन,
प्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर।

मैंने / हमने उपरोक्त शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़कर अच्छी तरह से समझ लिया है एवम् प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ / हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप)

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।

—: तकनीकी बिड सम्बन्धित दस्तावेज़ :—

- 1— बोलीदाता/संवेदक का नाम :.....
- 2— डाक का पता.....
- 3— फोन/मोबाइल नं०.....
- 4— ई—मेल.....
- 5— बैंक का नाम
आई.एफ.एस.सी. कोड.....
बैंक खाता सं०.....

7—बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी

:—

को सं०	विवरण	हाँ	नहीं
1	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952का प्रमाण पत्र संलग्न)		
2	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (प्रमाण पत्र संलग्न)		
3	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)प्रमाण पत्र संलग्न)		
4	आय कर (पेन नं०)प्रति संलग्न		
5	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशीप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र संलग्न ।		
6	बोली प्रतिभूति राशि रु. 15000/- का बैंकर चैक/डी.डी. संलग्न		
7	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रु. 200/- का बैंकर चैक/डी.डी. संलग्न (यदि निविदा फॉर्म ऑनलाईन डाउनलोड कर प्रस्तुत किया गया हो)		
8	अनुभव प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष (वर्ष 2019–20 से 2021–22) न्यूनतम 2 वर्ष		
9	वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 के टर्नओवर प्रमाण पत्र (सी.ए. द्वारा प्रमाणित)		
10	मूल निविदा प्रपत्र एवं शर्तों पर हस्ताक्षर		
11	घोषणा पत्र (परिशिष्ट डी)हस्ताक्षर युक्त		
12	अनुलग्नक अ ब स हस्ताक्षर युक्त		

निविदा दाता के हस्ताक्षर

(यह परिशिष्ट 'सी' वित्तीय निविदा हेतु पृथक लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे। यह परिशिष्ट तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने पर फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।)

परिशिष्ट—“सी”
दर अनुसूची

वित्तीय बिड

1. ग्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय भवन की सफाई कार्य की वार्षिक दर संविदा के लिये वित्तीय निविदा प्रपत्र।
 2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, पता एवं दूरभाष नं० :—
-

नोट :- बोलीदाता वित्तीय बोली पृथक लिफाफे मे सीलबन्द कर एवम् उक्त लिफाफे पर ‘वित्तीय बोली’ अंकित करें।

क्रं सं०	सेवा नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री की राशि एवम् उपकरण किरणा (प्रतिमाह) रूपये	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह) रूपये	कुल राशि रूपये 8 + 9
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर(प्रति माह 06 स्वीपर हेतु)।	श्रमिकों की संख्या	राशि (प्रतिमाह 06 स्वीपर हेतु)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 8+9	
1	कार्य आधारित सफाई कार्य	अकुशल (स्वीपर) 42476 /-	राशि रूपये 42476 /-	4	राशि रूपये 42476 /-	13.00 प्रतिशत (नियोक्ता) AS PER RULES 5521.88/-	3.25 प्रतिशत (नियोक्ता) AS PER RULES 1380.47			

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई हैं तथा केवल स्तम्भ संख्या 8, 9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा दर राशि अंकित की जायेगी।
2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. संवेदक द्वारा कॉलम नं० 8 एवं 9 में निल/शून्य राशि भरे जाने पर निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

—: घोषणा पत्र :—

बोली की समस्त जानकारी / शर्तों का मैने / हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया हैं । मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं एवं वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता हैं तथा वान्धित कार्मिक / मशीन / उपकरण / सामग्री उपलब्ध है तथा अधिनियम की धारा 46 एवं नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था की पात्रता के लिये विवर्जित नहीं हैं ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये जो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी / हमारी बोली प्रतिभूति / एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समर्पित कर किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक जिसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकेगा ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर ।

नाम मय सील

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

- Any person participating in a procurement process shall –
- Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement processes or to otherwise influence the procurement processes;
 - Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
 - Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement processes;
 - Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement processes;
 - Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement processes;
 - not obstruct any investigation or audit of a procurement processes;
 - disclose conflict of interest, if any and
 - disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - Have the same legal representative for purposes of the Bid ; or
 - Have a relationship with each other, directly or through a common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding processes; or
 - The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No.....
Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possesas the necesasary profesasional, technical, financial and managerial resaourcessa and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxesa payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our businessas activitesa suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our profesasional conduct or the making of false statement or misrepresaentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement procesas, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interesat as specified in the Act, Rulesa and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Desaignation :

Addresas :



Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process
The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

- (5) Form of Appeal
(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

- (6) Fee for filing appeal
(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No.1

[See rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012**

Appeal No. of

Before the (First/Second
Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address
of the respondent(s)

- (i)

- (ii)

- (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal of the representative:

5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal :

.....
..... (Supported by
an affidavit)

7. Prayer :

.....
.....
.....

 Scanned with OKEN Scanner

Place - - - - -

Date - - - - -